>

12.06 hrs.

(ii) Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Title: Motion for election to the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Motion adopted).

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि इस सभा के सदस्य श्री कैलाश मेघवाल, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बंधी समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम(1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम(3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेा अवधि के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। "

MR. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, in the manner required by sub-rule (1) of rule 331 B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve as a member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Kailash Meghwal ceased to be a member of the Committee on his appointment as Minister. "

The motion was adopted.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा सिफारिश करती है कि वह श्री नाना देशमुख, जिन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति का कार्यकाल की शेा अवधि के लिये इस सभा की उक्त समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिट करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। "

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Nana Deshmukh resigned from the Committee and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. "

The motion was adopted.